पत्रांक 15/एम 1–144/2014 – 2292
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक,

एस0एम0 करीम,
निदेशक (उच्च शिक्षा)।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालय, बिहार।

पटना, दिनांक 05/12/2014

विषयः– श्री विजय शंकर दूबे, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी बकाया वेतन भुगतान समिति द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री विजय शंकर दूबे, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी बकाया वेतन भुगतान समिति द्वारा अंतिम प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। पारित आदेश के आलोक में बकाया राशि की विमुक्ति की जानी है। समिति द्वारा पारित आदेश के आलोक में कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा राशि विमुक्त करने का आनुरोध विभाग से किया गया है। विश्वविद्यालय से प्राप्त अनुरोध में समिति के वाद संख्या एवं आवेदक के नाम से संबंधित विस्तृत विवरणी उपलब्ध नहीं कारायी गयी है। उक्त विवरणी के अभाव में राशि विमुक्त करने में कठिनाई हो रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त समिति द्वारा आपके विश्वविद्यालय से संबंधित वादों में पारित आदेश, वाद संख्या एवं आवेदक के नाम के साथ राशि की गणना कर विस्तृत विवरणी विभाग को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए, ताकि विभाग द्वारा यथा आवश्यक कार्रवाई की जा सके। एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विलम्ब की सारी जबावदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी।

विश्वासभाजन,

Karim 5/12/14

(एस0 एम0 करीम)
निदेशक (उच्च शिक्षा)